



डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या: शैक्षिक/124 /23
दिनांक: 24-07-2023

अधिसूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 29 के अधीन डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय अध्यादेश के अध्याय 3 के अन्तर्गत परीक्षा समिति के सदस्य अद्योलिखित रूप से घोषित किये जाते हैं। उक्त परीक्षा समिति का कार्यकाल दिनांक 20.07.2024 को समाप्त होगा।

(ए) कुलपति(अध्यक्ष)

(बी) दो संकायाध्यक्ष

प्रो0 आशू रानी

1. प्रो0 अचला गक्खर,
संकायाध्यक्ष, गृह विज्ञान,
गृह विज्ञान एक्टेसन एजू0 विभाग, गृह विज्ञान संस्थान,
खन्दारी, आगरा
(दिनांक 21.07.2023 से दिनांक 18.11.2023 तक)
तत्पश्चात् संकायाध्यक्ष गृह विज्ञान
2. प्रो0 हेमलता,
संकायाध्यक्ष होम्योपैथी,
प्राचार्य, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय होम्योपैथिक
मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, प्रयागराज
(दिनांक 21.07.2023 से दिनांक 19.10.2023 तक)
तत्पश्चात् संकायाध्यक्ष होम्योपैथी

(सी) दो प्राचार्य

1. प्रो0 प्रीति जौहरी,
प्राचार्या,
आर0सी0ए0 गर्ल्स कालेज, मथुरा।
2. डा0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह
प्राचार्य,
सेन्ट जॉस कालेज, आगरा।

(डी) दो आचार्य

- 1- प्रो0 हेमा पाठक,
इतिहास एवं संस्कृति विभाग,
सिविल लाइन्स, आगरा।

(ई) विद्या परिषद् का एक सदस्य-

2- प्रो० विन्दुशेखर शर्मा,
भैतिक विज्ञान विभाग,
बैसिक विज्ञान संस्थान,
खन्दारी, आगरा।

1- प्रो० यू०सी० शर्मा,
विभागाध्यक्ष, लाइब्रेरी साइंस विभाग,
पालीवाल पार्क, आगरा।

(एफ) कार्य परिषद् का एक सदस्य-

1- प्रो० पी०के० सिंह,
जन्तु विज्ञान विभाग,
स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, खन्दारी, आगरा।
(दिनांक 21.07.2023 से दिनांक 19.11.2023 तक)

(जी) औटा द्वारा नामित दो सदस्य

1- डा० अनुराधा गुप्ता,
कार्यवाहक अध्यक्ष औटा,
बी०डी० जैन गर्ल्स पी०जी० कालेज, आगरा।

2- डा० भूपेन्द्र कुमार चिकारा,
महामंत्री औटा,
आगरा कालेज, आगरा।

(एच)

परीक्षा नियंत्रक

(उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय
अधिनियम-1973 की धारा-16(क) की
उपधारा(1) में संशोधन के उपरान्त)

परीक्षा नियंत्रक


कुलसचिव

संख्या:शैक्षिक/331/2023

दिनांक: 24-7-2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित सदस्यगण।
2. वित्त अधिकारी।
3. परीक्षा नियंत्रक।
4. सम्बन्धित सहायक कुलसचिव।
5. सहायक कुलसचिव, कुलपति कार्यालय, कुलपति जी, कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
6. अर्धाक्षक, कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
7. अभिलेख खण्ड।




सहायक कुलसचिव

